

167

274

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.  
R. 5021- से 115

निगरानी याचिका क्र...../15



1-गोदेलाल विश्वकर्मा तनय स्व.श्री बजरंग प्रसाद विश्वकर्मा  
पेशा कृषि उम्र-75वर्ष निवासी ग्राम/पोस्ट तिघरा तहसील  
बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

2-रामविशाल विश्वकर्मा उम्र-64वर्ष तनय स्व.श्री बजरंग  
प्रसाद विश्वकर्मा पेशा कृषि उम्र-75वर्ष निवासी ग्राम/पोस्ट  
तिघरा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.....निगराकारगण

बनाम

सर्किट नं. 2-9-15  
1-रामधनी विश्वकर्मा तनय स्व.श्री रामसखी विश्वकर्मा  
उम्र-65वर्ष

2-गीता प्रसाद विश्वकर्मा तनय स्व.श्री रामसखी विश्वकर्मा  
पेशा कृषि उम्र-50वर्ष

3-प्रदुम्न कुमार विश्वकर्मा तनय स्व.श्री रामसखी विश्वकर्मा  
उम्र-46वर्ष

4-छेदीलाल तनय स्व.श्री बजरंग प्रसाद विश्वकर्मा पेशा कृषि  
उम्र-65वर्ष

सभी निवासी ग्राम/पोस्ट तिघरा तहसील बिरसिंहपुर जिला  
सतना म.प्र.

5-म.प्र.शासन ..... गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध राजस्व प्रकरण क्र.  
7अ12/14-15, 8अ12/14-15,  
9अ12/14-15 में पारित आदेश  
दिनांक 30.07.15पीठासीन अधिकारी  
राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील  
बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

रामविशाल

विश्वकर्मा  
श्रीराम

....2


*[Handwritten signature]*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.5021-दो / 2015

जिला-सतना

गोरेलाल विश्वकर्मा / रामधनी विश्वकर्मा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी0के0 पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील बिरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 7/अ-12/2014-15, 8/अ-12/2014-15 , 9/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा)            सदस्य         </p>	

*fit*